पत्रांक 5810 /आयु0क0/उत्तरा0/धारा–57/वा0कर/2009–10/दे0दून

कार्यालय आयुक्त कर, उत्तराखण्ड,
(धारा–57, अनुभाग)
दिनांकः: देहरादूनः: 12 मार्च ~~फरवरी~~, 2010

प्रार्थना पत्र सं0 – 5983/16.10.09
सर्वश्री माउण्ट शिवालिक इण्ड0,
11/1 डी0ए0वी0कालेज रोड, करनपुर देहरादून।
निर्णय का दिनांक– मार्च 2010,
फर्म की ओर से उपस्थित– श्री पल्लव जोशी फर्म स्वामी।

उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा–57 के अन्तर्गत निर्णय।

सर्वश्री माउण्ट शिवालिक इण्ड0, 11/1 डी0ए0वी0कालेज रोड, करनपुर देहरादून के द्वारा उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम की धारा–57 के तहत प्रार्थना पत्र देते हुये निम्न पैकिंग मैटि्रियल पर कर की दर से अवगत कराने का अनुरोध किया हैः–

1– B.O.P.P.Tape
2- P.V.C. Shrink Film
3- L.D. Shrink Film
4- P.P.Bags
5- L.D. Bags
6- H.M. Bags
7- B.O.P.P.Bags

2. प्रार्थना पत्र की सुनवाई की निर्धारित तिथि को फर्म स्वामी श्री पल्लव जोशी उपस्थित हुये। उनके द्वारा लिखित उत्तर दाखिल करते हुये अवगत कराया कि मा0 वाणिज्य कर अधिकरण देहरादून के द्वारा सर्वश्री सहोत्रा पेपर लि0, जसपुर के वाद में अनुसूची–2(ख)के कमांक–9 पर अंकित प्रविष्टि पैकिगं मैटि्रियल में सभी तरह के पैकिंग मैटि्रियल सम्मिलित रहने का आदेश पारित किया गया है। अतः उक्त आधार पर उनके द्वारा उत्पादित एवं बिकीत वस्तु भी उक्त प्रविष्टि में सम्मिलित मानते हुये 4 प्रतिशत की दर से करयोग्य मानने का अनुरोध किया गया है।

3. मेरे द्वारा विभागीय मत एवं फर्म स्वामी द्वारा रखे गये तथ्यों का अवलोकन किया गया। उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम की अनुसूची 2(ख) के कमांक–9 पर "पैकिंग का सामान जिसमें (क) कागज,पेपर बोर्ड, कोरोगेटिड शीट्स, प्लास्टिक से बने बक्से, डिब्बे, कार्टन, जैरी कैन, थैले(ख) पुर्न–चकित कागज से बने मोल्डिड ट्रे (ग) जूट एवं सन से बनये गये टाट व बोरे, (ध) लेमिनेटिड जूट के बोरे भी सम्मिलित है" को रखते हुये 4 प्रतिशत की दर से करयोग्य घोषित किया गया है। व्यापारी द्वारा जिन वस्तुओं के सम्बन्ध में प्रश्न किया गया है वह स्पष्टतः उक्त प्रविष्टि से आच्छादित नही होते है, अतः उक्त वस्तऐं मूल्यवर्धित कर अधिनियम की किसी भी अनुसूची से आच्छादित न होने के कारण अवर्गीकृत वस्तुओं की भांति R.N.R. अर्थात 12.5 प्रतिशत की दर से बिकी के प्रत्येक बिन्दु पर करयोग्य मानी जायेगी। जहां तक पैकिगं मैटि्रियल में सभी प्रकार के पैकिगं मैटि्रियल सम्मिलित माने जायेंगे के सम्बन्ध में मा0 अधिकरण द्वारा दिये गये निर्णय का प्रश्न है इस सम्बन्ध में स्पष्ट करना है कि उक्त वाद के तथ्य वर्तमान प्रश्न से भिन्न है। मा0 वाणिज्य कर अधिकरण के निर्णय के विरुद्व शासन द्वारा मा0उच्च न्यायालय के

समक्ष पुनरीक्षण दाखिल करने का निर्णय भी लिया जा चुका है। मा0 उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय द्वारा अनेकानेक मामलो में यह मत प्रतिपादित किया गया है कि कर सम्बन्धी प्राविधानों का विशलेषण करते समय Law of Equity पर विचार नही किया जा सकता है, अर्थात न तो हम कुछ Assume और न ही कुछ Presume कर सकते है। अधिनियम की किसी व्यवस्था के सन्दर्भ में वर्णित जो शाब्दिक अर्थ है उस सीमा का अतिक्रमण नही किया जा सकता है, साथ ही यह भी स्पष्ट करना है कि विधायिका की मन्शा उक्त प्रविष्टि में सभी तरह के पैकिगं मैटि्रियल को सम्मिलित करने की रही होती तो उक्त प्रविष्टि में " All goods of Packing Material Including.... होता न कि "Articles of Packing Including " अतः उक्त प्रविष्टि में जो शाब्दिक अर्थ दिये गये है उनके अनुसार व्यापारी द्वारा उत्पादित प्रश्नगत वस्तुऐं अनुसूची–2(ख) के क्रमांक–9 पर अंकित प्रविष्टि से आच्छादित नही होते है। अतः इन वस्तुओं पर अवर्गीकृत वस्तुओं की तरह करदेयता बनती है। इस प्रकार व्यापारी द्वारा पूछे गये प्रश्न का उत्तर दिया जाता है।

इस निर्णय की प्रतिलिपि आवेदनकर्ता तथा संम्बन्धित कर निर्धारण अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही हेतु पृथक–पृथक भेजा जाय।

12.03.2010

(वी0के0सक्सेना)
एडिशनल कमिश्नर,वाणिज्य कर
मुख्यालय, देहरादून।

पृ0प0सं0 5810 /दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड वैभव पैलेस इन्दिरा नगर देहरादून।
2. एडिशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर, गढवाल जोन देहरादून/कुमॉऊ जोन रूद्रपुर।
3. एडिशनल कमिश्नर,(आडिट)/(प्रर्वतन) वाणिज्य कर, मुख्यालय देहरादून ।
4. समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्य0) वाणिज्य कर, देहरादून/ हरिद्वार/ काशीपुर/ हल्द्वानी को इस निर्देश के साथ प्रेषित की वे उक्त परिपत्र की अतिरिक्त प्रतियां कराकर अपने अधीनस्थ अधिकारियों/बार एशोसिएशन के पदाधिकारियों/व्यापारी संगठनों के अध्यक्ष/सचिव को उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।
5. ज्वाइन्ट कमिश्नर (अपील) वाणिज्य कर देहरादून/हल्द्वानी ।
6. ज्वाइन्ट कमिश्नर (वि0अनु0शा0 /परिवर्तन) वाणिज्य कर हरिद्वार/रूद्रपुर ।
7. सम्बन्धित कर निर्धारण अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
8. बरिष्ठ तक्नीकी निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि वे उक्त परिपत्र को वाणिज्य कर की बेवसाइट पर प्रसारित करने का कष्ट करें
9. पोर्टल प्रबन्धक, उत्तरा पोर्टल एन0आई0सी0,4 सुभाष रोड़ देहरादून ।
10. संख्या–अनुभाग को इस निर्देश के साथ कि उक्त परिपत्र स्कैन कर व्यापार प्रतिनिधियों/अधिवक्ताओं को ई–मेल द्वार प्रेषित कर दें।
11. नेशनल लॉ हाउस बी–2 मॉर्डन प्लाजा बिल्डिंग अम्बेड़कर रोड़ गाजियाबाद।
12. नेशनल लॉ एण्ड मैनेजमेन्ट हाउस–15/5 राज नगर गाजियाबाद।
13. लॉ पब्लिकेशन व्यापार कर भवन, कलैक्ट्रेट कम्पाउण्ड, राजनगर गाजियाबाद।
14. कार्यालय अधीक्षक की केन्द्रीय गार्ड फाईल हेतु ।
15. विधि–अनुभाग की गार्ड फाईल हेतु।

12.03.2010

एडिशनल कमिश्नर,वाणिज्य कर
मुख्यालय, देहरादून।

01C